मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय तथा वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005

सा.का.नि. 729 (अ) केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश, 1998 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमणौ से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ :

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश, 2005 है;
2. इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है;
3. यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा★

2. परिभाषाएँ :

इस आदेश में, जब कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :

(क) **'अपमिश्रण'** से मोटर स्प्रिट या उच्च वेग डीजल में अवैध रूप से या अप्राधिकृत रूप से किसी बाह्य पदार्थ का मिलाना★★ अभिप्रेत है जिसके परिणामस्वरूप वह उत्पाद, भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देश संख्यांक आई एस 2796 और आई एस 1460, क्रमशः मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल के लिए और ऐसी कोई अन्य अपेक्षा जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है;

(ख) **'प्राधिकृत प्राधिकारी'** से अभिप्रेत खंड 7 के उपबंधों के अधीन प्राधिकृत एक अधिकारी से है;

(ग) **'उपभोक्ता'** से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी तेल कंपनी से या व्यौहारी से, जिसको किसी तेल कंपनी द्वारा नियुक्त किया गया हो, उत्पाद क्रय करता है और उत्पाद का भंडार या उसका उपयोग अपने स्वयं के लिए करता है और इसके अंतर्गत उसके प्रतिनिधि, कर्मचारी या अभिकर्ता भी है;

★ भारत के राजपत्र में दिनांक 21 दिसम्बर 2005 को भाग II खण्ड 3 उपखण्ड (1) में 518 संख्यांक पर पृष्ठ 1 से 12 तक प्रकाशित।

★★ ''मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल में मार्कर की उपस्थिति और/या'' शब्द केन्द्र शासन की अधिसूचना दिनांक 12 जनवरी 2007 द्वारा अंतःस्थापित एवं अधिसूचना दिनांक 31 दिसंबर 2008 के अनुसरण में विलोपित।

(घ) **'व्यौहारी'** से, मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल तेल का क्रय, ग्रहण, भंडार और विक्रय करने के लिए चाहे वह किसी अन्य कारबार के सहयोजन में हो अथवा नहीं; किसी तेल कंपनी द्वारा सम्यक् रूप से नियुक्ति कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत उसके प्रतिनिधि, कर्मचारी और अभिकर्ता भी है;

(ङ) **'उच्च वेग डीजल'** से कोई हाइड्रोकार्बन तेल (जिसके अंतर्गत खनिज कोल्जा तेल और तारपीन अनुकल्प नहीं है) जो भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देश सं. आई एस 1460 की अपेक्षाओं को पूरा करता है; ★★...... ।

(च) **'अनाचार'** के अंतर्गत मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल की बाबत करने और लोप करने के निम्नलिखित कार्य होंगे; -

- (i) अपमिश्रण,
- (ii) मूषण,
- (iii) स्टाक अंतर
- (iv) अप्राधिकृत विनिमय,
- (v) अप्राधिकृत क्रय,
- (vi) अप्राधिकृत विक्रय,
- (vii) अप्राधिकृत कब्जा,
- (viii) अतिप्रभार,
- (ix) विनिर्देशगत उत्पादों का विक्रय,
- (x) परिदान की कमी;

★★(च 1) ...... ।

(छ) **'मोटर स्प्रिट'** से ऐसा कोई हाइड्रोकार्बन तेल, जिसके अंतर्गत कच्चा खनित तेल नहीं है, अभिप्रेत है, जो भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देश सं. आई एस 2796 की अपेक्षाओं को पूरा करता है; ★★...... ।

(ज) **'तेल कंपनी'** से इंडियन आइल कार्पोरेशन लिमिटेड, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, आई बी पी कं. लिमिटेड या केन्द्र सरकार द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई व्यक्ति, फर्म या कंपनी अभिप्रेत है जो, केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिकथित अनुबंधों के अनुसार, सीधे उपभोक्ता या व्यौहारियों को मोटर स्प्रिट या उच्च वेग डीजल के विपणन या विक्रय में लगी हुई है;

(झ) **'पेट्रोलियम'** का वही अर्थ है जो पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 में है;

(ञ) **'मूषण'** से उत्पाद के परिवहन के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले किसी आधान से या उत्पाद के भंडारण के लिए प्रयुक्त किसी पात्र से उत्पाद का चुराना या चुराने का प्रयत्न करना अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऐसा आधान या पात्र को बिगाड़ने का कोई अप्राधिकृत प्रयत्न या कार्य भी है;

★★ मार्कर से संबंधित प्रावधान केन्द्र शासन की अधिसूचना दिनांक 12 जनवरी 2007 द्वारा अंतःस्थापित एवं अधिसूचना दिनांक 31 दिसंबर 2008 के द्वारा विलोपित।

(ट) **'उत्पाद'** से मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल तेल अभिप्रेत है;

(ठ) **'अनुसूची'** से, इस आदेश से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(ड) **'स्टाक अंतर'** से अनुसूची - I में यथाविनिर्दिष्ट स्टाकों में अनुज्ञेय अंतर के लिए सन्नियमों से परे अंतर अभिप्रेत है;

★★(ड 1) ...... ।

(ढ) **'परिवाहक'** से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे किसी तेल कंपनी, किसी व्यौहारी या किसी उपभोक्ता द्वारा मोटर स्प्रिट या उच्च वेग डीजल का परिवहन करने के लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत किया गया है और इसके अंतर्गत उसके प्रतिनिधि, कर्मचारी या अभिकर्ता भी हैं;

(ण) **'अप्राधिकृत विनिमय'** से राज्य सरकार या तेल कंपनियों द्वारा जारी किए गए निर्देशों के उल्लंघन से किसी व्यौहारी या उपभोक्ता से किसी अन्य व्यौहारी या उपभोक्ता या किसी अन्य व्यक्ति को उत्पादों का अंतरण या प्राप्ति अभिप्रेत है;

(त) **'अप्राधिकृत क्रय'** से तेल कंपनियों द्वारा प्राधिकृत स्त्रोतों से भिन्न स्त्रोतों से उत्पाद का क्रय अभिप्रेत है;

(थ) **'अप्राधिकृत विक्रय'** से राज्य सरकार या तेल कंपनियों द्वारा इस प्रयोजन के लिए जारी किए गए निर्देशों के उल्लंघन में या इस आदेश के किसी उपबंध के उल्लंघन में किसी व्यौहारी या उपभोक्ता द्वारा किसी अन्य व्यौहारी या उपभोक्ता को अथवा किसी अन्य व्यक्ति को उत्पाद का विक्रय अभिप्रेत है;

(द) **'अप्राधिकृत कब्जा'** से इस आदेश के उपबंधों के उल्लंघन में मोटर स्प्रिट या उच्च वेग डीजल या किसी पेट्रोलियम उत्पाद या उसके मिश्रण का, संबंधित तेल कंपनी द्वारा जारी किए गए विधिमान्य विक्रय दस्तावेजों के बिना व्यौहारी या किसी व्यक्ति के नियंत्रण के अधीन रखना, अभिप्रेत है:

(ध) **'अतिप्रभार'** से किसी व्यौहारी द्वारा किसी तेली कंपनी द्वारा जिससे व्यौहारी ने उत्पाद क्रय किया है, प्राधिकृत से उच्चतर कीमत/दर पर मोटर स्प्रिट या उच्च वेग डीजल का विक्रय करना अभिप्रेत है;

(न) **'अविनिर्देशगत उत्पाद का विक्रय'** से किसी व्यौहारी ★★(......) द्वारा ऐसी क्वालिटी का मोटर स्प्रिट या उच्च वेग डीजल का विक्रय करना अभिप्रेत है जो मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल के लिए भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देश संख्या क्रमशः आई एस 2796 और आई एस 1460 के अनुरूप नहीं है।

3. उत्पाद का प्रदाय और परिवहन :

1. प्रदाय स्थान से उत्पाद का परिवहन, परिवाहक द्वारा ऐसे किसी आधान या टैंक ट्रक में किया जाएगा जिसका, माप वजन प्राधिकारी द्वारा यथाप्रमाणित और परिदान दस्तावेजों द्वारा समर्थित शुद्ध अंश शोधन सहित उत्पाद ले जाने के लिए विस्फोटक प्राधिकारी,

---

★★ मार्कर से संबंधित प्रावधान केन्द्र शासन की अधिसूचना दिनांक 12 जनवरी 2007 द्वारा अंतःस्थापित एवं अधिसूचना दिनांक 31 दिसंबर 2008 के द्वारा विलोपित।

परिवहन प्राधिकारी और तेल कंपनी द्वारा उचित होना प्रमाणित किया गया है और उसे भंडारण या वितरण स्थान पर क्वालिटी और मात्रा दोनों की बाबत वैसी ही अवस्था में परिदत्त करेगा जो उसे मूल प्रदाय स्थान से परिदत्त किए गए थे।

2. परिवाहक यह सुनिश्चित करेगा कि उत्पाद का परिवहन केवल ऐसे आधानों या टैंक ट्रकों में किया जाएगा जो समुचित रूप से सीलबंद और तालाबंद किए गए हों।

3. व्यौहारी या उपभोक्ता ऐसा आधान या टैंक ट्रक का जिसमें वह उत्पाद प्राप्त करता है, यह सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण करेगा, -

(क) कि ऐसा आधान या टैंक ट्रक, जिसके अंतर्गत सील और ताला है, किसी भी रूप में कोई गड़बड़ नहीं की गई है;

(ख) कि उत्पाद की मात्रा और क्वालिटी, तेल कंपनी द्वारा जारी किए गए परिदान दस्तावेजों के अनुसार है और उत्पाद की क्वालिटी भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देशों संख्यांक आई एस 2796 और आई एस 1460, क्रमशः मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल के लिए, अपेक्षाओं के अनुसार है। इस प्रयोजन के लिए तेल कंपनी उन परिदान दस्तावेजों में उत्पाद का घनत्व 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर उपदर्शित करेगी और व्यौहारी या उपभोक्ता, घनत्वों का एक अभिलेख बनाए रखेगा और उसके तथा टैंक ट्रक परिवाहक के द्वारा, सम्यक् रूप से संयुक्ततः हस्ताक्षरित उत्पाद का नमूना रखेगा और ऐसे अन्य उपाय भी करेगा जो, तेल कंपनी द्वारा विहित किए जाएँ। परिदान दस्तावेजों में वर्णित घनत्व की तुलना में, टैंक ट्रक उत्पाद के 15 डिग्री सेंटीग्रेड घनत्व में अंतर, +/- 0.0030 से अनधिक होना चाहिए।

4. व्यौहारी या तेल कंपनी से भिन्न कोई व्यक्ति उत्पाद के विक्रय में नहीं लगेगा।

5. कोई व्यक्ति, मोटर स्प्रिट या उच्च वेग डीजल या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य ईंधन से भिन्न कोई ऐसा उत्पाद या उसका मिश्रण, किसी रूप में, किसी नाम, ब्रांड या नामपद्धति के अधीन विक्रय या विक्रय का करार नहीं करेगा जो स्फुलिंग प्रज्वलन इंजनों या संपीड़न प्रज्वलन इंजनों वाले किसी प्रकार के मोटरगाड़ी यानों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है या उसके लिए आशयित है।

6. कोई व्यौहारी, परिवाहक, उपभोक्ता या कोई अन्य व्यक्ति किसी भी रीति में कोई भी एक या अधिक अनाचार नहीं करेगा।

7. मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल का परिदान या विक्रय तेल कंपनी के व्यौहारी द्वारा केवल प्राधिकृत फुटकर पंप निकास केन्द्र से किया जाएगा।

4. मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल के विपणन पर निर्बन्धन :

केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल का उपभोक्ताओं या व्यवहारियों को विपणन और विक्रय नहीं करेगा।

ꥻया गया है और उसे
त वैसी ही अवस्था में

आधानों या टैंक ट्रकों
ए हों।

गाद प्राप्त करता है, यह

ला है, किसी भी रूप में

जारी किए गए परिदान
रतीय मानक ब्यूरो के
क्रमशः मोटर स्प्रिट और
जन के लिए तेल कंपनी
ोड पर उपदर्शित करेगी
रखेगा और उसके तथा
ाक्षरित उत्पाद का नमूना
द्वारा विहित किए जाएें।
ट्रक उत्पाद के 15 डिग्री
हिए।

नहीं लगेगा।

कार द्वारा प्राधिकृत कोई
रूप में, किसी नाम, ब्रांड
ा जो स्फुलिंग प्रज्वलन
यानों में ईंधन के रूप में

भी रीति में कोई भी एक

कंपनी के व्यौहारी द्वारा

र निर्बन्धन :

र स्प्रिट और उच्च वेग
एगा।

5. मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल के विपणन के लिए प्राधिकार अनुदान किया जाना :

1. ऐसा कोई व्यक्ति जो मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल का विपणन और विक्रय करने के लिए प्राधिकार प्राप्त करना चाहता है, वह केन्द्रीय सरकार को अनुसूची - II में दिए गए प्रारूप के अनुसार आवेदन करेगा, जिसके साथ दस लाख रुपए की फीस या बेंकर के चैक या मांगदेय ड्राफ्ट के रूप में, वेतन और लेखा अधिकारी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के पक्ष में नई दिल्ली में संदेय, हो।

2. केन्द्रीय सरकार, आवेदन की संवीक्षा करने के पश्चात् यदि उसका, आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए ब्यौरों के बारे में समाधान हो जाता है तो आवेदक से, सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट, किसी रकम के लिए बैंक गारंटी देने की अपेक्षा करने के पश्चात् मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल के विपणन के प्राधिकार को, ऐसे प्राधिकार के निबंधन और शर्तों को उपदर्शित करते हुए जारी किया जाएगा।

3. केन्द्रीय सरकार का यदि यह समाधान हो जाता है कि खंड में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से संबंधित शर्तों में से किसी का उल्लंघन किया गया है तो वह इस खंड के अधीन जारी प्राधिकार को रद्द कर सकेगी :

   परन्तु किसी प्राधिकार को रद्द करने के पूर्व सुनवाई का एक अवसर दिया जाएगा।

6. इथानोल और बायो-डीजल से संमिश्रित मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल का प्रदाय :

केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा अजल इथानेल और/या बायो-डीजल के विनिर्दिष्ट परिमाण से संमिश्रत मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल के, किसी राज्य के संपूर्ण राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग में या भारत संघ के संपूर्ण राज्यक्षेत्र में, प्रदाय करने को, आज्ञापक बना सकेगी।★

7. तलाशी और अभिग्रहण की शक्ति :

1. यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार का कोई राजपत्रित अधिकारी या पुलिस उप-अधीक्षक की पंक्ति से अन्यून कोई पुलिस अधिकारी अथवा विक्रय अधिकारी से अन्यून की पंक्ति का तेल कंपनी का कोई अधिकारी, इस आदेश उपबंधों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के विचार से या स्वयं का यह समाधान करने के प्रयोजन के लिए कि इस आदेश या तद्धीन किए गए किसी आदेश का पालन किया गया है या यह विश्वास करने का कारण है कि इस आदेश के सभी या किसी उपबंध का उल्लंघन किया जा रहा है या उल्लंघन होने वाला है :

   (क) किसी व्यौहारी, परिवाहक, उपभोक्ता या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति जो ऐसे व्यौहारी या परिवाहक या उपभोक्ता का कर्मचारी या अभिकर्ता है, के किसी स्थान या

★ केन्द्र सरकार की अधिसूचना क्रमांक 4 (अ) दिनांक 02 जनवरी 2013 द्वारा तेल कंपनियों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में 5 प्रतिशत तक के एथनोल सम्मिश्रण की प्राप्ति हेतु अधिकतम 10 प्रतिशत तक के एथनोल सम्मिश्रण की अनुमति भा.मा. ब्यूरो की विशिष्ठियों के अनुसरण में दी गई है।

परिसरों में प्रवेश और तलाशी ले सकेगा;

(ख) किसी व्यक्ति या यान या पात्र को रोक सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा जिसका, उत्पाद के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए उपयोग किया जाता है या उपयोग किया जाना आशयित है।

(ग) ऐसे उत्पाद के नमूने ले सकेगा और ऐसे उत्पाद के किसी स्टाक को और उस यान या पात्र या उपयोग में लाए गए किसी अन्य वाहन या ऐसे स्टाक को वहन करने के लिए उपयोग में लाए गए संदिग्ध वाहन को अभिग्रहण कर सकेगा और तत्पश्चात् वह ऐसे स्टाक या मदों को इस प्रकार अभिग्रहण करने के पश्चात्, अधिकारिता रखने वाले कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन पेश किए जाने सुनिश्चित करने के लिए और इस प्रकार पेश करने के, लंबित रहने तक उनकी सुसंगत अभिरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा;

(घ) ऐसे किसी व्यौहारी, परिवाहक, उपभोक्ता या किसी अन्य व्यक्ति जिसके उस व्यौहारी परिवाहक या उपभोक्ता के कर्मचारी या अभिकर्ता होने की आशंका है, की आवश्यक बहियों, रजिस्टरों, कोई अन्य, अभिलेखों या दस्तावेजों का, ऐसी सहायता के साथ जैसा आवश्यक हो, निरीक्षण कर सकेगा, अभिग्रहण कर सकेगा और उपसारित कर सकेगा।

2. प्राधिकृत अधिकारी उपखंड (ग) और (घ) के अधीन उपबंधित अभिग्रहण करने की शक्तियों का प्रयोग करते समय, ऐसा करने के कारणों को लेखबद्ध करेगा और लेखबद्ध किए गए कारणों की एक प्रति, यथास्थिति व्यौहारी, परिवहनकर्ता, उपभोक्ता या किसी अन्य संबंधित व्यक्ति को उपलब्ध कराएगा।

3. तलाशी और अभिग्रहण के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 100 के उपबंध यथाशक्य इस आदेश के अधीन तलाशियों और अभिग्रहणों को लागू होंगे।

8. उत्पाद का नमूना तैयार करना और परीक्षण : ★

★★(1-क) ......।

★★★1. ''खंड 7 के अधीन प्राधिकृत अधिकारी यह जांच करने के लिए कि क्या उत्पाद का घनत्व और अन्य परिमितियां, भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देश संख्यांक आई एस. 2796 और आई एस 1460 क्रमशः मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल की अपेक्षाओं के अनुरूप हैं, यथास्थिति टैंक, नोजल, यान या साफ एल्युमिनियम पात्र आधानों में नमूने लेगा और यदि नमूने फुटकर निकास केंद्र से लिए जाते हैं तो खंड 3 के उप-खंड (3) की मद (ख) के अधीन यथाअपेक्षित उस ब्यौहारी द्वारा प्रतिधारित अंतिम दो प्राप्तियों के सुसंगत टैंक-ट्रक नमूने को भी प्रयोगशाला विश्लेषण के लिए संग्रहीत किया जाएगा।''

★ अधिसूचना क्रमांक सा.का.नि. 18 (अ) दिनांक 12 जनवरी 2007 द्वारा प्रतिस्थापित।

★★ केन्द्र शासन की अधिसूचना दिनांक 31 दिसंबर 2008 द्वारा कंडिका (1क) विलोपित।

★★★ केन्द्र शासन की अधिसूचना दिनांक 6 मई 2014 द्वारा उपखण्ड-1 प्रतिस्थापित। अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 23 मई 2014 को प्रकाशित।

ौर उसकी तलाशी ले सकेगा
ले जाने के लिए उपयोग किया

केसी स्टाक को और उस यान
। ऐसे स्टाक को वहन करने के
ण कर सकेगा और तत्पश्चात्
करने के पश्चात्, अधिकारिता
वश्यक वस्तु अधिनियम, 1955
और इस प्रकार पेश करने के,
भी आवश्यक कदम उठाएगा;

ी अन्य व्यक्ति जिसके उस
नकर्ता होने की आशंका है, की
खों या दस्तावेजों का, ऐसी
सकेगा, अभिग्रहण कर सकेगा

संबंधित अभिग्रहण करने की
लेखबद्ध करेगा और लेखबद्ध
नकर्ता, उपभोक्ता या किसी

3 (1974 का 2) की धारा 100
भिग्रहणों को लागू होंगे।

। : ★

के लिए कि क्या उत्पाद का
श संख्यांक आई एस. 2796
ल की अपेक्षाओं के अनुरूप
आधानों में नमूने लेगा और
प-खंड (3) की मद (ख) के
प्राप्तियों के सुसंगत टैंक-
जाएगा।"

स्थापित।
विलोपित।
थापित। अधिसूचना राजपत्र में

2. प्राधिकृत अधिकारी, प्रत्येक मोटर स्प्रिट के एक लीटर के छः नमूने या प्रत्येक उच्च गति डीजल के एक लीटर के तीन नमूने लेगा। मोटर स्प्रिट के दो नमूने या उच्च गति डीजल का एक नमूना, व्यौहारी या परिवहनकर्ता या संबंधित व्यक्ति को, उनके परीक्षण या अन्वेषण पूरे होने तक उसकी सुरक्षित अभिरक्षा में नमूने को परिरक्षित रखने के अनुदेश सहित पावती देगा। मोटर स्प्रिट के दो नमूने या उच्च वेग डीजल का एक नमूना संबंधित कंपनी या विभाग द्वारा रखे जाएँगे और शेष मोटर स्प्रिट के दो नमूने या उच्च वेग डीजल के एक नमूने का उपयोग प्रयोगशाला विश्लेषण के लिए किया जाएगा;

3. नमूने के लेबल को उस प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जिसने नमूना लिया है और व्यौहारी या परिवहनकर्ता या संबंधित व्यक्ति या उसके प्रतिनिधि द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित किया जाएगा और नमूना लेबल पर, उत्पाद फुटकर निकास केन्द्र का नाम, नमूने की मात्रा, तारीख, प्राधिकृत अधिकारी का नाम, व्यौहारी या परिवहनकर्ता या संबंधित व्यक्ति या उसके प्रतिनिधि के नाम के विषय में जानकारी अंतर्विष्ट होगी;

4. प्राधिकृत अधिकारी लिए गए उत्पाद के नमूने को, अनुसूची 3 में उल्लिखित किसी प्रयोगशाला को या अन्य किसी ऐसी प्रयोगशाला को सरकार द्वारा जब इस प्रयोजन के लिए अधिसूचित की जाए, यह जाँच करने के विचार से कि उत्पाद का घनत्व और अन्य परिमितियाँ, भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देश संख्यांक आई एस 2796 और आई एस 1460 क्रमशः मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल की अपेक्षाओं के अनुरूप हैं, विश्लेषण के लिए दस दिन के भीतर भेजेगा।

5. उपखंड (4) में उल्लिखित प्रयोगशाला, प्राधिकृत अधिकारी को, प्रयोगशाला में नमूने की प्राप्ति के बीस दिन के भीतर जाँच रिपोर्ट देगा।

6. प्राधिकृत अधिकारी, उस जाँच परिणाम को, यथास्थिति व्यौहारी, परिवहनकर्ता या संबंधित व्यक्ति और तेल कंपनी को प्रयोगशाला से जाँच परिणाम की प्राप्ति के पाँच दिन के भीतर समुचित कार्रवाई के लिए संसूचित करेगा।

9. केन्द्रीय सरकार की निदेश जारी करने की शक्ति :

केन्द्रीय सरकार समय-समय पर, किसी व्यौहारी, परिवहनकर्ता या उपभोक्ता या किसी अन्य व्यक्ति को किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसे निदेश जारी कर सकेगी जो वह मोटर स्प्रिट या उच्च गति डीजल के भंडारण, विक्रय, परिवहन और व्ययन के लिए आवश्यक समझे तथा ऐसे निदेशों के जारी होने पर, ऐसे व्यौहारी, परिवहनकर्ता या उनका पालन करने के लिए आबद्ध होंगे।

10. अध्यारोही प्रभाव :

इस आदेश के उपबंधों का, इसके प्रारंभ से पूर्व किसी राज्य सरकार द्वारा या ऐसी सरकार के किसी अधिकारी द्वारा किए गए किसी आदेश में किसी बात के होते हुए भी, केवल उन बातों के सिवाय जिन्हें इस प्रकार प्रारंभ होने के पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, अध्यारोही प्रभाव होगा।

अनुसूची 1

(खंड 2 (ड) देखें)

अनुज्ञेय स्टाक अंतरभिन्नति से संबंधित मानकों के ब्यौरे

ऐसी स्थिति में जब कि निरीक्षण यह प्रमाणित करता है कि भूमिगत टैंकों में स्टाकों अंतर्गत अंतरभिन्नता टैंक स्टाक को +/- 4 प्रतिशत से अधिक है तो भूमिगत टैंकों अंतर्गत स्टाकों अंतरभिन्नता सामान्य प्रचालन स्तर से अधिक समझी जाती है :

(i) मोटर स्प्रिट अंतर्गत क्वथन/संभाल से संबंधित हानियाँ निम्नवत् -

0-600 किलोलीटर की वार्षिक औसत बिक्रियों पर 0.75 प्रतिशत

600 किलोलीटर से अधिक की वार्षित बिक्रियों पर 0.60 प्रतिशत।

(ii) उच्च वेग डीजल के संबंध में संभाल हानियाँ निम्नवत् -

0-600 किलोलीटर की वार्षिक औसत बिक्रियों 0.25 प्रतिशत

600 किलोलीटर से अधिक या वार्षिक औसत बिक्रियों पर 0.20 प्रतिशत।

(मोटर स्प्रिट/उच्च वेग डीजल के संबंध में संकुचन हानियाँ और तापमान अंतरभिन्नता भत्ता या जहाँ कहीं भी लागू हों, ध्यान में रखी जाएगी।)

अनुसूची 2

(मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल के विपणन का प्राधिकार जारी करने के लिए)

सेवा में,
संयुक्त सचिव,
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
भारत सरकार, शास्त्री भवन
नई दिल्ली - 110 001

1.0 आवेदक का नाम

2.0 फर्म की किस्म (जो लागू न हों उसे काट दें)

2.1 पब्लिक लिमिटेड कंपनी/प्राइवेट लिमिटेड कंपनी/भागीदारी फर्म/स्वत्वधारी फर्म/अन्य

3.0 पता

3.1 रजिस्ट्रीकृत कार्यालय

4.0 निदेशकों/भागीदारों/स्वत्वधारी के नाम, पते और टेलीफोन नंबर

5.0 नई और अपूर्ण परियोजनाओं के लिए परियोजनाओं की पूर्ति अनुसूची के साथ किए गए और/या किए जाने के लिए पात्र क्रियाकलापों में प्रस्तावित विनिधान के ब्यौरे -

इस्ता.

ों के ब्यौरे

मिगत टैंकों में स्टाकों अंतर्गत
ूमिगत टैंकों अंतर्गत स्टाकों

नवत् -

ात

ात।

20 प्रतिशत।

ँ और तापमान अंतरभिन्नता

र जारी करने के लिए)

फर्म/स्वत्वधारी फर्म/अन्य

नंबर

तें अनुसूची के साथ किए गए
विनिधान के ब्यौरे -

(i) नए आधारिक तेलशोधक कारखानों की स्थापना और/या विद्यमान तेलशोधक कारखानों का अपरिष्कृत तेल की प्राप्ति और परिवहन प्रसुविधाओं जैसी प्रसुविधाओं का विस्तार सहित;

(ii) हाइड्रोकार्बन जिसके अंतर्गत कोयला संस्तर मैथेन और सहबद्ध सुविधाएँ जैसे अपरिष्कृत तेल/प्राकृतिक गैस पाईप लाईन, अपरिष्कृत तेल और प्राकृतिक गैस प्रसंस्करण संयंत्र भी है, की खोज और उत्पाद;

(iii) अपरिष्कृत तेल/एन एन जी टर्मिनल;

(iv) प्राकृतिक गैस/पेट्रोलियम उत्पादों/एल.पी.जी. पाईप लाईनों, सामान्य वाहक;

(v) पर्यावरण से संबंधित मानकों को पूरा करने के लिए उत्पाद की क्वालिटी सुधारने के लिए अतिरिक्त आस्तियों की स्थापना करने के लिए उपर्युक्त क्रियाकलापों में विनिधान।

टिप्पण : उपर्युक्त विनिर्दिष्टों से भिन्न क्रियाकलाप पात्र नहीं होंगे।

6.0 नई और अपूर्ण परियोजनाओं की पूर्ति के लिए उनकी पूर्ति की तारीख सहित पूरा होने का समय उपदर्शित किया जाए।

7.0 विपणन की स्कीम का विवरण :

(i) विपणन किए जाने वाले उत्पादों के प्रदाय का स्त्रोत;

(ii) स्थापित किए गए और स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित टैंकेज और अन्य उपसंरचनाएँ, उनकी धारिता सहित;

(iii) डिपो और फुटकर निकासों के लिए उत्पादों के परिवहन के साधन;

(iv) स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित फुटकर निकासों की संख्या और अवस्थिति तथा उनके भंडारण तथा योजना क्षमता के ब्यौरे;

(v) विपणन स्कीम के अंतर्गत आने वाले उत्पादों की कुल मात्रा और प्रकार।

टिप्पण : उपर्युक्त के संबंध में ब्यौरे पृथकतः संलग्न किए जाएँ।

8.0 फुटकर सेवा बाध्यताओं और विपणन सेवा बाध्यताओं के संबंध में अनुपालन की रीति -

(i) दूरस्थ क्षेत्रों/कम सेवा क्षेत्रों में स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित फुटकर निकासों की संख्या;

(ii) दूरस्थ क्षेत्रों/कम सेवा क्षेत्रों में स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित अन्य विपणन अवसंरचना;

(iii) विद्यमान विपणन कंपनियों सहित प्रस्तावित वाणिज्यिक करार, यदि कोई हो;

(iv) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)।

9.0 संदत्त आवेदन फीस के ब्यौरे।

10. घोषणा

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और आवेदन के साथ लगे हुए उपबंध और कथन सही, पूर्ण और सत्य रूप से कथित हैं और यदि इसमें किया गया कोई कथन गलत पाया जाता है तो मैं विधि के उपबंधों के अधीन कार्रवाई के लिए दायी हूँगा।

(हस्ताक्षर)

तारीख .... नाम : ....

पदनाम : ....

अनुसूची 3

खंड 8 (4) देखें

पेट्रोलियम उत्पाद के नमूनों के परीक्षण के लिए प्रयोगशालाएँ

1. तेल कंपनियों की विपणन और रिफाइनरी प्रयोगशालाएँ

(i) भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन आयल, कार्पोरेशन लिमिटेड और आई बी पी कंपनी लिमिटेड की सभी विपणन (जिसके अंतर्गत चलंत प्रयोगशालाएँ भी हैं) रिफाइनरी प्रयोगशालाएँ;

(ii) बोंगाईगाँव, आयल रिफाइनरी लिमिटेड, रिफाइनरी प्रयोगशाला, पी.ओ. नया बोंगाईगाँव, जिला कोकराझार, असम;

(iii) चैन्नई पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, रिफाइनरी प्रयोगशाला, मनाली, चैन्नई - 600 019 तमिलनाडु;

(iv) कोची रिफाइनरी लिमिटेड, रिफाइनरी प्रयोगशाला, पोस्ट अंबलामुगल, कोची - 6 82 302, केरल;

(v) मंगलौर रिफाइनरी और पैट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, रिफाइनरी प्रयोगशाला, कुठेठूर, पी.ओ., कटीपला, मूडापाडव, पी.बी. सं. 2, मंगलौर 574 149, कर्नाटक;

(vi) न्यूमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, रिफाइनरी प्रयोगशाला, न्यूमालीगढ़, असम; और

(vii) रिलाएंस पेट्रोलियम लिमिटेड, रिफाइनरी प्रयोगशाला, मोती खावड़ी (गाँव), दिग्विजयाग्राम (पीओ) जामनगर (जिला) - 361 140, गुजरात।

2. सरकारी प्रयोगशालाएँ

और विश्वास के अनुसार
ार सत्य रूप से कथित हैं
धि के उपबंधों के अधीन

(हस्ताक्षर)

ाम : ....

ादनाम : ....

ोगशालाएँ

लेयम कार्पोरेशन लिमिटेड,
ा कंपनी लिमिटेड की सभी
फाइनरी प्रयोगशालाएँ;
प्रयोगशाला, पी.ओ. नया

ोगशाला, मनाली, चैन्नई -

स्ट अंबलामुगल, कोची - 6

ाइनरी प्रयोगशाला, कुठेठूर,
574 149, कर्नाटक;
शाला, न्यूमालीगढ़, असम;

ाला, मोती खावड़ी (गाँव),
गुजरात।

(i) डायरेक्टर ऑफ एयरवर्वीनेस, नागर विमानन विभाग की प्रयोगशाला, ब्लाक पूर्व, आर.के. पुरम, नई दिल्ली - 110 066;

(ii) नेशनल टेस्ट हाउस. 11/1, जजेज् कोर्ट रोड, अलीपुर, कलकत्ता - 700 027

(iii) नेशनल फिजीकल प्रयोगशाला, मूसा, नई दिल्ली - 110 012;

(iv) केमिकल टेस्टिंग और एनालिटिकल प्रयोगशाला, उद्योग और वाणिज्य तमिलनाडु सरकार, ग्वींडी; और

3. रक्षा प्रयोगशालाएँ

(i) चीफ कंट्रोलरेट ऑफ मेट्रियल्स, कंट्रोलरेट जनरल ऑफ स्टोर्स प्रयोगशाला आईजीएसकानपुर, पीबी नं. 229, कानपुर;

(ii) इंस्पेक्टर जनरल ऑफ स्टोर्स प्रयोगशाला, डी जी आई काम्पलैक्स कलकत्ता - 7 00 022; और

(iii) इंस्पेक्टर जनरल ऑफ स्टोर्स प्रयोगशाला, डीजीआई काम्प्लेक्स, विखरोली - 400 083।

4. अन्य प्रयोगशालाएँ

(i) सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट, बंगलौर

(ii) फ्यूल टेस्टिंग प्रयोगशाला, सोसाइटी फार पेट्रोलियम प्रयोगशाला, बी-1462, नोयडा, यू.पी.;

(iii) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, देहरादून - 248 005;

(iv) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ग्वींडी, चैन्नई;

(v) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हौजखास, नई दिल्ली;

(vi) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पोवाई, मुम्बई;

(vii) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, खड्गपुर;

(viii) रीजनल रिसर्च प्रयोगशाला, उप्पल रोड, हैदराबाद - 500 007;

(ix) रामदेव बाबा इंजीनियरिंग कॉलेज, कलोल रोड, नागपुर- 400 013, महाराष्ट्र

(x) लक्ष्मीनारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अमरावती रोड, नागपुर, महाराष्ट्र।

5. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सभी फारेंसिक प्रयोगशालाएँ

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय आदेश
नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2007

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय आदेश क्र. सा.का.नि. 18 (अ) दिनांक 12 जनवरी, 2007, भारत का राजपत्र (असाधारण) भाग 2 खण्ड 3 (i) दिनांक 12.1.2007 पृष्ठ 1-2 पर प्रकाशित।

केन्द्रीय सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, एतद्द्वारा मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश, 2005 में संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :

1 (1) इस आदेश का नाम मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) संशोधन आदेश, 2007 है।

(2) यह सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

2. मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश, 2005 (जिसे इसके बाद उक्त आदेश कहा गया है) में खण्ड 2 में, -

(क) मद (क) में ''अभिप्रेत'' शब्दों के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् -

''मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल में मार्कर की उपस्थिति और/या''

(ख) मद (ङ) में ''आई एस 1460'' अक्षरों और अंकों के बाद निम्नलिखित शब्द जोड़े जाएंगे, अर्थात् -

''और मार्कर के भी कोई चिन्ह अन्तर्विष्ट नहीं करता है'',

(ग) मद (च) के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्-

''(1च) ''मार्कर'' का अर्थ वह रासायनिक पदार्थ है जिसका केन्द्रीय सरकार द्वारा मिट्टी तेल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों में मिश्रण के लिए उनके विपथन या मोटर स्पिरिट या उच्च वेग डीजल की मिलावट को रोकने के उद्देश्य से समय-समय पर अनुमोदन किया जाता है'',

(घ) मद (छ) में ''आई एस 2796'' अक्षरों और अंकों के बाद निम्नलिखित शब्द जोड़े जाएंगे, अर्थात् -

''और मार्कर के भी कोई चिन्ह अन्वर्विष्ट नहीं करता है'',

(ङ) मद (ङ) के बाद निम्नलिखित को डाला जाएगा, अर्थात् -

''(ङ1) ''परीक्षण किट'' का अर्थ उपकरण के ऐसे सेट से है जिसका उपयोग मिट्टी तेल, मोटर स्पिरिट, उच्च वेग डीजल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों में मार्कर की उपस्थिति का निर्धारण करने के लिए किया जाता है''।

(च) मद (न) में ''किसी व्यौहारी'' शब्दों के बाद ''मार्कर और/या के चिन्ह होना'' जोड़ा जाएगा।

3. उक्त आदेश में खण्ड 8 में, -

(क) ''उत्पाद का नमूना तैयार करना'' शीर्षक के स्थान पर ''उत्पाद का नमूना तैयार करना और परीक्षण'' शीर्षक प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ख) शीर्षक के बाद और उप-खण्ड (1) से पहले निम्नलिखित उप-खण्ड जोड़ा जाएगा, अर्थात् -

''(1क) खण्ड 7 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी परीक्षण किट में टैंक, नोजल, वाहन या बर्तन, जैसा भी मामला हो, में नमूना लेगा और इस बात की जाँच करने के लिए परीक्षण किट की सहायता से उत्पाद का परीक्षण करेगा कि क्या उत्पाद में मार्कर के कोई चिन्ह हैं। यदि उत्पाद में ऐसे चिन्ह पाए जाते हैं, तो प्राधिकृत अधिकारी इसे तीन प्रतियों में दर्ज करेगा जिस पर उसके द्वारा या डीलर या परिवहनकर्ता या सम्बन्धित व्यक्ति या उसके प्रतिनिधि, जैसा भी मामला हो, द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे और वह इस प्रकार दर्ज किए जाने की एक प्रति डीलर या परिवहनकर्ता या सम्बन्धित व्यक्ति या उसके प्रतिनिधि को देगा और एक अन्य प्रति सम्बन्धित तेल कम्पनी, जैसा भी मामला हो, को देगा।''

(ग) उप-खण्ड (1) में ''प्राधिकृत'' शब्दों के बदले निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् -

''जहाँ उत्पाद में उप-खण्ड (1क) के अन्तर्गत मार्कर अन्तर्विष्ट नहीं है, प्राधिकृत अधिकारी''।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय आदेश
नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2008

सा.का.नि. 1 (अ).-केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, एतद् द्वारा, मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश, 2005 का आगे संशोधान करने के लिए निम्नलिखित आदेश देती है अर्थात् :

1. (1) इस आदेश को मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) संशोधन आदेश, 2008 कहा जाएगा।

(2) यह सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

2. मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश, 2005 में :-

(1) खण्ड 2 में :-

(क) मद संख्या (क) में शब्दों ''मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल में मार्कर की उपस्थिति और/या'' शब्दों का लोप किया जाएगा।

(ख) मद संख्या (ङ) में शब्दों ''और मार्कर के भी कोइ चिन्ह अन्तर्विष्ट नहीं करता है'' का लोप किया जाएगा।

(ग) मद संख्या (च 1) का लोप किया जाएगा।

(घ) मद संख्या (छ) में शब्दों ''और मार्कर के भी कोई चिन्ह अंतर्विष्ट नहीं करता है'' का लोप किया जाएगा।

(ङ) मद संख्या (ङ 1) का लोप किया जाएगा।

(च) मद संख्या (न) में शब्दों ''मार्कर और/या के चिन्ह होना'' का लोप किया जाएगा।

(2) खण्ड 8 में -

(क) उप खण्ड (1 क) का लोप किया जाएगा।

(ख) उप खण्ड (1) में शब्दों ''जहाँ उत्पाद में उप-खण्ड (1 क) के अंतर्गत मार्कर अंतर्विष्ट नहीं हैं, प्राधिकृत अधिकारी'' के स्थान पर ''प्राधिकृत'' शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

टिप्पणी : मोटर स्पिरिट और उच्च बेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005, भारत के राजपत्र में दिनांक 19 जून 2005 को राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। दिनांक 12 जनवरी 2007 को अधिसूचना क्रमांक सा.का.नि. 18 (अ) के माध्यम से इसमें संशोधन करते हुए मार्कर संबंधी प्रावधान जोड़े गए थे जो कि बाद में दिनांक 1 जनवरी 2009 को राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक सा.का.नि. 1 (अ) दिनांक 31.12.2008 द्वारा किए गए संशोधन के माध्यम से वापस लिए गए। केवल उपखण्ड आठ के शीर्षक में जोड़े गए शब्द ''और परीक्षण'' नहीं हटाया गया इसलिए इस शब्द को मूल आदेश में यथावत रखा गया है। सुविधा की दृष्टि से 12 जनवरी 2007 और 1 जनवरी 2009 की अधिसूचनाएँ पृथक से प्रकाशित की जा रही हैं।

अधिसूचना

अधिसूचना क्रमांक एफ 4-19/खाद्य/2005/29 दिनांक 30 दिसम्बर, 2010. - मोटर स्पिरिट एवं उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश, 2005 के खण्ड 7 के उपखण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा पूर्व अधिसूचना क्रमांक एफ 4-19/खाद्य/2005/29, दिनांक 16 दिसम्बर, 2005 को अधिक्रमित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा नीचे वर्णित अधिकारियों को अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर उक्त आदेश के उपबंधों के अधीन आवश्यक कार्यवाही करने के लिए अधिसूचित करती है, अर्थात् :

1. खाद्य विभाग के समस्त अधिकारी जो खाद्य अधिकारी की श्रेणी से निम्न का न हो।
2. राजस्व विभाग के समस्त अधिकारी जो तहसीलदार की श्रेणी से निम्न का न हो।

(छत्तीसगढ़ राजपत्र भाग 1 दिनांक 14.1.2011, पृष्ठ 47 पर प्रकाशित।)

र उच्च वेग डीजल में मार्कर
जाएगा।

ो कोइ चिन्ह अन्तर्विष्ट नहीं

नी कोई चिन्ह अंतर्विष्ट नहीं

 चिन्ह होना'' का लोप किया

खण्ड (1 क) के अंतर्गत मार्कर
स्थान पर ''प्राधिकृत'' शब्द

मन और अनाचार निवारण) आदेश
ा था। दिनांक 12 जनवरी 2007 को
 मार्कर संबंधी प्रावधान जोड़े गए थे
 क्रमांक सा.का.नि. 1 (अ) दिनांक
पखण्ड आठ के शीर्षक में जोड़े गए
ं यथावत रखा गया है। सुविधा की
शित की जा रही हैं।

30 दिसम्बर, 2010. - मोटर
और अनाचार निवारण) आदेश,
ें लाते हुए तथा पूर्व अधिसूचना
को अधिक्रमित करते हुए, राज्य
 अधिकारिता के भीतर उक्त
धिसूचित करती है, अर्थात्:

श्रेणी से निम्न का न हो।

ाणी से निम्न का न हो।

क 14.1.2011, पृष्ठ 47 पर प्रकाशित।)

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 22 मार्च 2007

क्र. एफ 6-20-06-01-उन्तीस, - मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश, 2005 के खण्ड 7 के उपखण्ड (1) द्वारा, प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारिणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट किए गए अधिकारियों को कॉलम (3) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट की गई अधिकारिता की सीमाओं के भीतर उक्त खण्ड में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है:

सारणी

क्र. (1)	अधिकारी (2)	क्षेत्राधिकार (3)
1.	संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, मध्यप्रदेश.	सम्पूर्ण राज्य
2.	संयुक्त संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, मध्यप्रदेश.	सम्पूर्ण राज्य
3.	उप संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, मध्यप्रदेश.	सम्पूर्ण राज्य
4.	सहायक संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, मध्यप्रदेश.	सम्पूर्ण राज्य
5.	संभागीय कमिश्नर	उनके अपने संबंधित संभाग की सीमाओं के भीतर.
6.	अतिरिक्त कमिश्नर	उनके अपने संबंधित संभाग की सीमाओं के भीतर.
7.	कलेक्टर	उनके अपने संबंधित जिले की सीमाओं के भीतर.
8.	अतिरिक्त कलेक्टर	उनके अपने संबंधित जिले की सीमाओं के भीतर.
9.	अनुविभागीय अधिकारी	उनके अपने संबंधित उपसंभाग की सीमाओं के भीतर.
10.	जिला आपूर्ति नियंत्रक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण.	उनके अपने संबंधित जिले की सीमाओं के भीतर तथा शासन/आयुक्त-सह-संचालक, खाद्य द्वारा जाँच हेतु अधिकृत किए जाने पर प्रदेश के किसी भी जिले में.
11.	जिला आपूर्ति अधिकारी, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण.	उनके अपने संबंधित जिले की सीमाओं के भीतर तथा शासन/संचालक, द्वारा अधिकृत किए जाने पर प्रदेश के किसी भी जिले में.
12.	तहसीलदार	उनकीअपनी संबंधित तहसील की सीमाओं के भीतर.

●●●

1. म.प्र. राजपत्र में दिनांक 22 जून 2007 को पृष्ठ 1725 पर प्रकाशित।